W/R

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

निगरानी / टीए /10250/2003/ जिला जयपुर

1– रामलाल
2– रामकरण
3– धूलाराम
पुत्रान भंवरलाल जाति जाट निवासी ग्राम हटूपुरा तहसील दूदू जिला जयपुर।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1– नन्दलाल पुत्र भीवा (फौत)
2– रामधन पुत्र भीवा
समस्त जाति जाट, निवासी नीमली तहसील दूदू, जिला जयपुर।
3– उदाराम पुत्र भीवा (फौत) के कायम मुकाम :
3/1. राजाराम पुत्र उदाराम
3/2. कमलेश पुत्र उदाराम
3/3. प्रेम पुत्री उदाराम पत्नि बसराम निवासी साखुन
3/4. राधा पुत्री उदाराम पत्नि नारायण निवासी साखुन
3/5. विमला पुत्री उदाराम पत्नि हनुमान निवासी साखुन
3/6. केली पुत्री उदाराम पत्नि रामस्वरूप निवासी साखुन
4– सुरजकरण पुत्र भीवा
5– नारायण पुत्र भीवा
6– लक्ष्मीनारायण पुत्र भीवा
समस्त जाति जाट, निवासी नीमली तहसील दूदू, जिला जयपुर।
7– तहसीलदार दूदू जिला जयपुर।

.....अप्रार्थीगण

एकलपीठ

श्री मूलचन्द मीणा, सदस्य

उपस्थित :

श्री हगामीलाल, अभिभाषक प्रार्थीगण।
श्री जगदीश प्रसाद माथुर अभिभाषक अप्रार्थीगण।

निर्णय

दिनांकः 26–07–2012

1– न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर (अपीलीय न्यायालय) द्वारा अपील संख्या 173/01 में पारित निर्णय दिनांक 27–3–03 के विरूद्ध यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।

2— निगरानी प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि परीक्षण न्यायालय सहायक कलेक्टर दूदू के समक्ष अप्रार्थी संख्या 1 ने एक दावा वास्ते घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया कि विवादित आराजी में उभय पक्ष का बराबर हक व हिस्सा है। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस जारी किये गये, किन्तु प्रार्थीगण की तामील अवैध रुप से चस्पान्दगी से करवाकर दिनांक 17—05—1999 को प्रार्थीगण के खिलाफ एकतरफा कार्यवाहीं अमल लाई जाकर दिनांक 25—10—2000 को अप्रार्थीगण का दावा एकतरफा आदेश द्वारा डिक्री कर दिया गया। उक्त डिक्री की जानकारी होने पर प्रार्थीगण द्वारा परीक्षण न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत कर उक्त एकतरफा निर्णय व डिक्री को निरस्त करने का निवेदन किया गया। परीक्षण न्यायालय ने प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी दिनांक 06—08—2001 को खारिज कर दिया। उक्त आदेश दिनांक 06—08—2001 के विरुद्ध अपील प्रार्थीगण न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर (अपीलीय न्यायालय) समक्ष प्रस्तुत की गई। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 27—03—2003 द्वारा प्रार्थीगण की अपील खारिज कर दी। प्रथम अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 27—03—2003 से व्यथित होकर यह निगरानी मंडल में पेश की गई है।

3— विद्वान अभिभाषकगण उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4— विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने निगरानी प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि प्रार्थीगण को नोटिसेज की तामील सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार नहीं करा कर पहली बार में ही चस्पान्दगी द्वारा तामील करा दी गयी जो कि अवैध है। उक्त तामील आदेश 5 नियम 17 सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार नहीं होकर प्रथम दृष्ट्या ही विधि विरूद्ध है। विद्वान अभिभाषक का तर्क है कि चस्पान्दगी से तामील कराने का अधिकार तामील कुनिन्दा को स्वतः नहीं है। न्यायालय के सक्षम आदेश द्वारा ही नोटिस चस्पान्दगी द्वारा तामील करवाई जा सकती है। तामील चस्पान्दगी पर तामील कुनिन्दा के हस्ताक्षर भी नहीं हैं फिर भी परीक्षण न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 5 नियम 19 की पालना सुनिश्चित किये बिना ही प्रार्थीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दे दिये। विद्वान अभिभाषक का यह भी तर्क है कि प्रार्थीगण द्वारा निर्धारित समय सीमा मे ही आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर दिया था किन्तु परीक्षण न्यायालय द्वारा बिना किसी ठोस कारण के उक्त प्रार्थनापत्र को निरस्त कर दिया और प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा भी प्रकरण के गुणावगुण पर विचार किये बिना ही प्रार्थीगण की अपील को केवल

तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया। विद्वान अभिभाषक का यह भी तर्क है कि दौराने अपील विपक्षी संख्या 1 नन्दलाल का निधन हो गया था किन्तु उसके वारिसान को रिकॉर्ड़ पर लिये बिना ही आलोच्य आदेश दिनांक 27–03–2003 पारित कर दिया गया जब कि मृत व्यक्ति के विरुद्ध अथवा पक्ष में पारित कोई भी आदेश प्रारम्भ से निष्प्रभावी (nullity) होता है। इस दृष्टि से भी प्रथम अपीलीय न्यायालय का आलोच्य आदेश दिनांक 27–03–2003 विधि विरुद्ध होने से निरस्तनीय है। अन्त में विद्वान अभिभाषक का तर्क है कि विवादित आराजी प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि है, जबकि अप्रार्थीगण का विवादित आराजी से कोई लेना देना नहीं है। प्रार्थी के पक्ष में विद्यमान गुणावगुण पर गौर किये बिना ही दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा यांत्रिक आदेश पारित किये गये हैं, अतः दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय विधि विरूद्ध एवं गैर कानूनी होने से निगरानी स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयो के निर्णय निरस्त किया जावे।

5– निगरानी प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण का अभिकथन है कि आदेश 9 नियम 13 जाब्ता दीवानी के प्रार्थना पत्र पर न्यायालय को सिर्फ यह देखना होता है कि तामील उचित तरीके से हुई है अथवा नही तथा न्यायालय में चलने वाली कार्यवाही की जानकारी प्रार्थीगण को है अथवा नही। प्रार्थीगण को तामील नियमानुसार नहीं हुई है यह प्रार्थीगण दोनों अधीनस्थ न्यायालयों में साबित नहीं कर पाये है। न्यायालय आदेश द्वारा ही तामील चस्पान्दगी से कराई गई है तथा चस्पान्दगी पर दो व्यक्तियों के हस्ताक्षर है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में यह कहीं भी अंकित नहीं है कि प्रार्थीगण को परीक्षण न्यायालय में चल रही कार्यवाहीं की जानकारी नहीं थी। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 जाब्ता दीवानी साबित नहीं होने के आधार पर ही दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा सही रूप से खारिज किया गया है। विद्वान अभिभाषक का यह भी तर्क है कि अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत निगरानी का दायरा अत्यन्त सीमित है और दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों के आलोच्य निर्णयों में क्षेत्राधिकार सम्बन्धी अथवा विधिक या तथ्यपरक ऐसी कोई त्रुटि नहीं है जिसके आधार पर निगरानी के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप किया जा सके।

6– निगरानी प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों और अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात एवं दोनों आलोच्य निर्णयों का आद्योपान्त अवलोकन व अध्ययन किया गया और दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया गया।

7– परीक्षण न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका एवं उक्त पत्रावली में तारीख पेशी 11–05–1999 के लिये प्रार्थीगण/ प्रतिवादी संख्या 6 से 8 अर्थात रामलाल, रामकरण व धूलाराम के कथित रुप से

तामीलसुदा सम्मनों की संलग्न प्रतिलिपियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रथम बार दिनांक 11–05–1999 के लिये जारी किये सम्मन तामील कुनिन्दा (process server) ने अपने स्तर से ही दिनांक 04–05–1999 को प्रतिवादीगण के आवास पर चस्पान्दगी से तामील करा कर रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी और परीक्षण न्यायालय द्वारा इस तामील के आधार पर ही दिनांक 17–05–1999 को प्रतिवादीगण रामलाल आदि के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित कर दिये और एक पक्षीय बहस सुन कर वादीगण का दावा निर्णीत करते हुये एक पक्षीय डिक्री दिनांक 25–10–2000 जारी की है। उक्त एक पक्षीय डिक्री को निरस्त कराने के लिये प्रतिवादीगण रामलाल आदि ने दिनांक 23–11–2000 को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जिसे परीक्षण न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 06–08–2001 से खारिज कर दिया। परीक्षण न्यायालय द्वारा उक्त आदेश दिनांक 06–08–2001 में निम्न प्रकार निष्कर्षांकन किया हैः–

> *"हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत नजीरों का अवलोकन व अध्ययन किया एवं प्रार्थीगण/ प्रतिवादीगण को हुई तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट को देखा। जिन पर प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नजीर **DNJ 1997 p-155** पूर्ण रुपेण चस्पा नहीं होती है। अप्रार्थीगण/ वादीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नजीरों का एक एक का अध्ययन एवं विवेचन करने पर पाया कि वे विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा दिये गये समस्त तर्कों की पुष्टी करती हैं एवं पूर्ण रुपेण चस्पा होती हैं। हमारी राय में निर्णय दिनांक 25–10–2000 मु. नं. 181/98 नन्दलाल बनाम रामधन में दिया गया सही व उचित है। इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन उचित नहीं समझते हैं। तामील दिनांक 04–05–1999 को सही मानते हैं।"*

इस निष्कर्ष के साथ प्रार्थनापत्र आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता को खारिज किया गया है।

8– विद्वान परीक्षण न्यायालय ने अंकित किया है कि तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट को देखा। अभिलेख के अवलोकन से जाहिर है कि तामील दिनांक 04–05–1999 के सम्बन्ध में तामील कुनिन्दा की कोई रिपोर्ट ही नहीं है। सम्मन पर इस आशय का पृष्ठांकन अंकित है कि दिनांक 04–05–99 को ग्राम हटुपुरा पहुंचकर आसामी का मालुम किया गया तो वह किसी जरुरी काम से सुजानगढ गया हुआ था, अतः नोटिस की एक प्रति उसके खुले मकान पर चस्पा किया गया। उक्त पृष्ठांकन पर तामील कुनिन्दा का नाम अथवा हस्ताक्षर नहीं है, अर्थात विधिक दृष्टि से यह तामील कुनिन्दा द्वारा आदेश 5 नियम 17 के प्रावधान अनुसार यथोचित पृष्ठांकन ही नहीं है। विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा इस प्रकार की अहस्ताक्षरित रिपोर्ट/पृष्ठांकन के आधार पर तामील दिनांक 04–05–1999 को उचित तामील मानना क्षेत्राधिकार का उपयोग विधिक प्रावधान अनुसार नहीं करने की श्रेणी में आता है। जब पृष्ठांकन/ रिपोर्ट में तामील कराने वाले कार्मिक का नाम अथवा हस्ताक्षर ही नहीं है तो महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 5 नियम 19

के अनुसार, यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो, किस कार्मिक का सशपथ परीक्षण किया जावेगा।

9— दिनांक 04—05—1999 को कराई गयी कथित तामील प्रतिस्थापित तामील (substituted service) की श्रेणी में आती है जिसके लिये आदेश 5 नियम 20 अनुसार न्यायालय के आदेश अपेक्षित होते हैं जो कि हस्तगत प्रकरण में नहीं लिये गये हैं, अपितु तामील कुनिन्दा ने अपने स्तर से चस्पान्दगी कर दी है।

10— इसके अलावा हस्तगत प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय है कि चस्पान्दगी से तामील कराने से पूर्व तामील कराने वाले कार्मिक द्वारा व्यक्तिगत तामील कराने हेतु किये गये प्रयासों का भी विवरण अंकित नहीं है। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 5 नियम 17 में प्रावधान निम्न प्रकार हैं:—

> ***"17. Procedure when defendant refuses to accept service, or cannot be found:***
>
> *Where the defendant or his agent or such other person as aforesaid refuses to sign the acknowledgement, or* ***where the serving officer, after using all due and reasonable diligence****, cannot find the defendant, who is absent from his residence at the time when service is sought to be effected on him at his residence and* ***there is no likelihood of his being found at the residence within a reasonable time*** *and there is no agent empowered to accept service of the summons on his behalf,* ***nor any other person on whom service can be made,*** *the serving officer shall affix a copy of the summons on the outer door or some other conspicuous part of the house in which the defendant ordinarily resides or carries on business or personally works for gain, and shall then return the original to the Court from which it was issued, with a report endorsed thereon or annexed thereto stating that he has so affixed the copy, the circumstances under which he did do, and the name and address of the person (if any) by whom the house was identified and in whose presence the copy was affixed."*

उपरोक्त नियम 17 अनुसार आबाद आवास पर चस्पान्दगी से तामील उस स्थिति में कराई जा सकती है, जबकि तामील कुनिन्दा के सम्यक् एवं युक्तियुक्त तत्परता बरतने के पश्चात (after using all due and reasonable diligence) भी सम्मन प्राप्त करने वाला व्यक्ति नहीं मिल रहा हो और अगर वह आवास से अनुपस्थित है और युक्तियुक्त समय के भीतर (within a reasonable time) अर्थात हस्तगत प्रकरण में निर्धारित दिनांक 11—05—1999 से पहले उक्त व्यक्ति का अपने आवास पर मिलने की कोई सम्भावना नहीं हो और जबकि घर पर ऐसा कोई अन्य व्यक्ति (any other person on whom service can be made) नहीं हो जिस पर विधिक प्रावधान

अनुसार तामील कराई जा सकती हो। सारांश यह कि इस न्यायालय के मत अनुसार तामील कराने वाले व्यक्ति द्वारा चस्पान्दगी से पूर्व आदेश 5 नियम 17 के आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं की गयी है जिससे उक्त तामील दिनांक 04–05–1999 त्रुटिपूर्ण है और उक्त तामील को समुचित तामील मान कर उसके आधार पर प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 8 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश देना भी त्रुटिपूर्ण है।

11– हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण/ प्रतिवादीगण द्वारा एक पक्षीय डिक्री को अपास्त कराने के लिये आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता का प्रार्थनापत्र दिनांक 23–11–2000 को अर्थात निर्धारित अवधि में ही प्रस्तुत कर दिया गया था, जिसमें एक महत्वपूर्ण आधार यह लिया गया था कि प्रार्थीगण/ प्रतिवादीगण 6 लगायत 8 पर तामील सही प्रकार से नहीं हुई है। जब तामील के तरीके व वैधानिकता को चुनौती दी जाती है तो न्यायालय के लिये यह आवश्यक था कि आदेश 5 नियम 19 में दी गयी प्रक्रिया अनुसार जांच कराई जाती और तामील कराने वाले कार्मिक का सशपथ परीक्षण किया जाता। किन्तु विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया। वैसे भी, जबकि तामील रिपोर्ट/ पृष्ठांकन पर तामील कुनिन्दा का नाम, यहां तक कि हस्ताक्षर भी नहीं है तो आदेश 5 नियम 19 अनुसार तामील कुनिन्दा का परीक्षण सम्भव ही नहीं था। उक्त कथित रुप से तामीलसुदा सम्मनों की प्रतियों को देख कर आज भी यह नहीं कहा जा सकता है कि तामील किस कार्मिक द्वारा कराई गयी थी। ऐसी तामील रिपोर्ट के आधार पर उक्त तामील को समुचित मानना न्यायालय द्वारा अपने क्षेत्राधिकार का सही प्रकार से उपयोग नहीं करने की श्रेणी में आता है। इस आधार पर भी इस न्यायालय का यह मत है कि तामील दिनांक 04–05–1999 समुचित तामील नहीं थीं और उसके आधार पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाना एवं बाद में उसी के आधार पर आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 का प्रार्थनापत्र खारिज कर देना न्यायालय द्वारा कारित वैधानिक त्रुटि है।

12– तामील कुनिन्दा की बिना हस्ताक्षर की तामील पृष्ठांकन में यह अंकित किया गया है कि सम्मन की एक प्रति ''उसके खुले मकान'' पर चस्पा की गयी। जब मकान खुला था तो उसमें तामील प्राप्त करने वाले व्यक्ति का कोई परिजन भी होगा। तामील कुनिन्दा द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया कि किसी परिजन (adult family member) पर तामील क्यों नहीं कराई गयी। अगर मकान में कोई वयस्क परिजन उपलब्ध नहीं था तो चस्पान्दगी से पूर्व इस आशय की टिप्पणी भी तामील पृष्ठांकन में की जानी चाहिये थी। किन्तु ऐसा नहीं किया गया। इससे भी यही निष्कर्ष निकलता है कि तामील कुनिन्दा द्वारा समुचित व वैधानिक तरीके से तामील नहीं कराई गयी।

13— उपरोक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह सुविचारित मत है कि प्रार्थीगण/ प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 8 पर दिनांक 04—05—1999 को कराई गयी तामील समुचित तामील नहीं थीं; उक्त तामील के आधार पर दिनांक 17—05—1999 को पारित एकतरफा कार्यवाही के आदेश अवैधानिक आदेश थे; और इस तामील को समुचित तामील मान कर प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता को खारिज करने का आदेश दिनांक 06—08—2001 विधिक, तथ्यात्मक एवं क्षेत्राधिकार सम्बन्धी गंभीर त्रुटि से ग्रसित था। ऐसे त्रुटिपुर्ण आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को आदेश दिनांक 27—03—2003 द्वारा खारिज करके प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा भी क्षेत्राधिकार सम्बन्धी एवं विधिक त्रुटि कारित की गयी है। अतः उक्त दोनों ही आदेश निरस्तनीय है और हस्तगत निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है।

14— परिणामतः हस्तगत निगरानी को एतदद्वारा स्वीकार किया जाता है; परीक्षण न्यायालय सहायक कलेक्टर, दूदू द्वारा प्रकरण संख्या 123/2000 में पारित आदेश दिनांक 06—08—2001 तथा प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा अपील संख्या 173/2001 में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 27—03—2001 को निरस्त किया जाता है। प्रार्थीगण/ प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 8 श्री रामलाल आदि द्वारा परीक्षण न्यायालय में दिनांक 23—11—2000 को प्रस्तुत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता का प्रार्थनापत्र एतदद्वारा स्वीकार किया जाता है। परीक्षण न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण 6 लगायत 8 के विरूद्ध राजस्व वाद संख्या 181/98 में की गयी एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 17—05—1999 को तथा उक्त राजस्व वाद संख्या 181/98 में पारित एक पक्षीय निर्णय व डिक्री दिनांक 25—10—2000 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण परीक्षण न्यायालय सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी दूदू को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि दोनों पक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर देते हुये प्रकरण का निर्णय गुणावगुण पर नवीनतः (afresh) पारित किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मूलचन्द मीणा)
सदस्य